

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 86 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड सैकिण्ड फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर
जरिये अधिकृत अधिकारी **आँचल शर्मा**

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)


बनाम

1. **SURENDRA KUMAR GEHLOT S/O TARA CHAND GEHLOT**
ADDRESS:- PATTA NO. 16, WARD NO. 6, NEAR TODIYO KI KUI, LAXMANGARH, P.S. & TEHSIL-LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN 332311
ALSO AT:- LAXMANGARH, WARD NO. 6, HAMEERPURA, ROAD, N.H. 52, SIKAR, RAJASTHAN 332311
2. **TARA CHAND GEHLOT S/O GANPATH RAM**
ADDRESS:- ADDRESS:- PATTA NO. 16, WARD NO. 6, NEAR TODIYO KI KUI, LAXMANGARH, P.S. & TEHSIL-LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN 332311
ALSO AT:- WARD NO. 6, HAMEERPURA, ROAD, LAXMANGARH, SIKAR, RAJASTHAN 332311
3. **SHARDA DEVI W/O TARA CHAND GEHLOT**
ADDRESS:- PATTA NO. 16, WARD NO. 6, NEAR TODIYO KI KUI, LAXMANGARH, P.S. & TEHSIL-LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN 332311
ALSO AT:- BALIYON KA MOHALLA, WARD NO. 6, LAXMANGARH, SIKAR, RAJASTHAN 332311

—अप्रार्थीगण (ऋणी / बंधककर्ता)



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

आदेश

दिनांक:— 16 दिसंबर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री महेन्द्र कुमार स्वामी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **SURENDRA KUMAR GEHLOT S/O TARA CHAND GEHLOT, TARA CHAND GEHLOT S/O GANPATH RAM** एवं **SHARDA DEVI W/o TARA CHAND GEHLOT** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **TARA CHAND** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **PATTA NO. 16, WARD NO. 6, NEAR TODIYO KI KUI, LAXMANGARH, P.S. & TEHSIL-LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN 332311** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 49.11 SQ.YDS** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— **EAST: HOUSE OF NATHURAM, WEST: AAM RASTA, NORTH: HOUSE OF SOHAN LAL, SOUTH: HOUSE OF MOTILAL** स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 5,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री मुकेश कुमार पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.05.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **SURENDRA KUMAR GEHLOT S/O TARA CHAND GEHLOT, TARA CHAND GEHLOT S/O GANPATH RAM एवं SHARDA DEVI W/o TARA CHAND GEHLOT** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **TARA CHAND** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **PATTA NO. 16, WARD NO. 6, NEAR TODIYO KI KUI, LAXMANGARH, P.S. & TEHSIL-LAXMANGARH, DISTRICT SIKAR, RAJASTHAN 332311** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **49.11 SQ.YDS** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— EAST: HOUSE OF NATHURAM, WEST: AAM RASTA, NORTH: HOUSE OF SOHAN LAL, SOUTH: HOUSE OF MOTILAL स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **16 दिसंबर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर